स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई–मेलः dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः 0135–2608763, फैक्सः 0135–2608746

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः– 3प / पैरा / मलेरिया / 16 / 2017 / 10323 दिनांक– 14/07/ 2020

विषयः– **मौसम परिवर्तन के दृष्टिगत वेक्टर जनित रोगो (डेंगू ईत्यादि) से बचाव हेतु एडवाइजरी के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

आप विदित है कि विगत वर्षो से डेंगू रोग राज्य में एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। इसी क्रम में अवगत कराना है कि माह जून से नवम्बर तक का समय डेंगू वायरस के संक्रमण के लिये अनुकूल होता है। आप सभी अवगत है कि वर्तमान में कोविड–19 संक्रमण भी प्रसारित हो रहा है। अतः आगामी माहों में डेंगू रोग के प्रसारित होने की सम्भावना को देखते हुए समस्त जनपदां में डेंगू रोग के समयान्तर्गत व प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कोविड–19 के परिवेश में डेंगू रोग की रोकथाम किये जाने हेतु निम्न कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:

1. डेंगू के मूल्यांकन हेतु जनपद में एक नोडल अधिकारी तथा सभी चिकित्सालयों में भी एक–एक नोडल अधिकारी नामित कर अवगत कराते हुए सभी सम्बन्धित को उपलब्ध करायें व प्रगति रिपोर्ट एवं नियमित किये गये प्रयासों से अधोहस्ताक्षरी व सभी सम्बन्धितों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
2. डेंगू की रोकथाम हेतु हर सम्भव प्रयास करें तथा डेंगू नियंत्रण हेतु विशेष डेंगू रोग के संक्रमण की रोकथाम के सम्बान्ध में प्रचार–प्रसार के माध्यम से जनमानस को डेंगू के विषय में जानकारी देना सुनश्चित करेंगें।
3. डेंगू की निःशुल्क जॉच ELISA जांच किट व अन्य जांच सामग्री की समुचित व्यवस्था।
4. चिकित्सालययों में आईसोलेशन वार्ड एवं बैड की सुविधा उपलब्ध करायी जाये।
5. डेंगू सम्भावित रोगियों के रक्त की जॉच की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल उपलब्ध करायें।
6. हाई रिस्क एवं डेंगू प्रभावित क्षेत्रों मे निरमित चिकित्सा दल भेजकर डोर–टू–डोर सर्वे आवश्यकतानुसार (फॉगिंग / स्प्रे) एवं डेंगू के सम्बन्ध में जनता को आवश्यक जानकारी देना सुनिश्चित करें।
7. जनजागरूकता व जनसहभागिता हेतु आई0ई0सी0 संसाधानों का समुचित व समयान्तर्गत उपयोग करें।
8. डेंगू की रोकथाम हेतु शिक्षा, लोक निर्माण, जल संस्थान, जल निगम, नगर निगम आदि से सहयोग व अंतर्विभागीय समन्वय हेतु जनपद स्तर पर बैठकों का समय से आयोजन किया जाये व कार्यवृत्त उपलब्ध कराये।
9. डेंगू रोग पर नियंत्रण हेतु लार्वा निरोधात्मक कार्यवाही (सोर्स रिडक्शन) एक कारगर व उपयुक्त उपाय है, जिसके लिये गत वर्ष की भांति डेंगू संवेदनशील जनपदों में आशाओं व नगर निगम / नगर पालिका के कर्मचारी के सहयोग से लार्वा निरोधात्मक कार्यवाही को अभियान की तरह संचालित किया जाये।
10. डेंगू पीडित गम्भीर रोगियों (DHF / DSS) हेतु PLATELETS की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
11. डेंगू रोगियों की शुरूआती चरण में पहचान हेतु ज्वर सर्वे किया जाये, लक्षणों के आधार पर डेंगू रोग की संदिग्धता होने पर जांच की जाये।
12. जिला अधिकारी की अध्यक्षता में अर्न्तविभागीय बैठक कर कार्ययोजना बना ली जाये।
13. स्वास्थ्य विभाग व आई0एम0ए0 प्रतिनिधियों / निजी चिकित्सालयों / पैथोलोजी लैबों के मध्य समन्वय बैठक (CME Meeting/Workshop) की जाये ताकि जनमानस में डेंगू रोग के प्रति व्याप्त भ्रान्ति / भय को दूर किया जा सकें।

Scanned with CamScanner

14. मीडिया को डेंगू सम्बन्धित संवेदनशील सूचनायें व सकारात्मक जानकारी सम्बोधित करने हेतु जनपद स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के किसी एक अधिकारी को Media Spokes Person अधिकृत किया जाए।
15. डेंगू के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करानां सूनिश्चित करें।

भवदीय,

(एस0के0गुप्ता)
निदेशक,(चिकित्सा स्वास्थ्य)

पृष्ठांकनः– 3प/पैरा/मलेरिया/16/2017/ 10324 तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपिः–निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करवाते हुए अपने अधीनस्थ मुख्य चिकित्साधिकारियों का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें।

(एस0के0गुप्ता)
निदेशक,(चिकित्सा स्वास्थ्य)

13/07/2020

Scanned with CamScanner